

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रुकमणीदेवी पत्नि रामस्वरूप मीणा निवासी लुहारीखुर्द

बनाम

रामराज पिता रामरतन मीणा निवासी लुहारीखुर्द वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 469/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
03.06.2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाशक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम लुहारीखुर्द प.ह. लुहारीखुर्द आराजी सं. 57/3, 629 कुल किता 02 रकबा 1.1448 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाशक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम लुहारीखुर्द प.ह. लुहारीखुर्द आराजी सं. 57/3, 629 कुल किता 02 रकबा 1.1448 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बावडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 200रु राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 03.06.2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक / सी.ए. / 2024 / 469/2024

दिनांक- 28/05/2024

विषय-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 469/2024 अनवान रूकमणीदेवी पत्नि रामस्वरूप मीणा निवासी लुहारीखुर्द बनाम रामराज पिता रामरतन मीणा निवासी लुहारीखुर्द, मुकेश पिता लक्ष्मीनारायण मीणा निवासी लुहारीखुर्द, मथुरा पिता रामरतन मीणा निवासी लुहारीखुर्द, भोजराज पिता रामरतन मीणा निवासी लुहारीखुर्द, अरविन्द पिता उदयसिंह मीणा निवासी लुहारीखुर्द, रामप्रसाद पिता मन्शाराम मीणा निवासी लुहारीखुर्द, शक्तिसिंह पिता मन्शाराम मीणा निवासी लुहारीखुर्द, शक्तिसिंह पिता बख्तावर मीणा निवासी लुहारीखुर्द, खुशराज पिता बख्तावर मीणा निवासी लुहारीखुर्द, सेवा पिता गंगाराम मीणा निवासी लुहारीखुर्द, भीमडा पिता नाना मीणा निवासी लुहारीखुर्द, कान्ता पत्नि रामसिंह मीणा निवासी लुहारीखुर्द, भोजा पिता रतना मीणा निवासी लुहारीखुर्द, मथरा पिता रतना मीणा निवासी लुहारीखुर्द, लेखराज पिता मूलचन्द मीणा निवासी लुहारीखुर्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विशयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम लुहारीखुर्द प.ह. लुहारीखुर्द आराजी सं. 57/3, 629 कुल किता 02 रकबा 1.1448 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारीकला को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोश में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिती में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर जिला शाहपुरा